न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी : – देवीलाल यादव (R.A.S.)
राजस्व वाद संख्या : – 1/2023

उनवान

1. बलदेव पुत्र दयाल
2. हंगामी पत्नी दयाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम बैवंजा, नसीराबाद

––– प्रार्थीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

राजस्थान सरकार तहसीलदार नसीराबाद

–– अप्रार्थी :– जरियें राज0 पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: आदेश :– दिनांक :– 1.4.24

प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बैवंजा के खसरा नम्बर 1832, 1834 व 1835 की आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी है। आवेदनकर्ता अपनी उपरोक्त आराजी में मुख्य रास्ता से होकर हाल खसरा नम्बर 1726 व 1828 में से आवागमन करते है। जो सिवायचक दर्ज है। प्रार्थी की खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु राजस्व अभिलेख व मौके पर कोई रास्ता विधमान नही है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी को उक्त आराजी पर आवागमन हेतु 30 फिट चौडा रास्ता माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरियें नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार नसीराबाद से मौका रिपोर्ट तलब की गयी।

तहसीलदार नसीराबाद द्वारा प्रकरण में रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण व राज0 पैरोकार के तर्को पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार हाल खसरा नम्बर 1832/0.24, 1834/0.23, 1835/0.33, 1836/0.10, 1837/0.12 व अन्य आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी है। हाल [illegible] किस्म बारानी 3, 1828 रकबा 2.00 किस्म नाला व 1833 रकबा 0.15 कि[illegible] सिवायचक खाते में दर्ज है। तहसीलदार नसीराबाद द्वारा प्रस्तुत [illegible] प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी के बीच में खसरा [illegible] 1726, 1828 [illegible] 1833 स्थित है। खसरा नम्बर 1828 गै0मु0 नाला व 1833 गै0मु0 चाह है। रिपोर्ट अनुसार मौके पर कोई लघुतम/[illegible] मार्ग उपलब्ध नही है। अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग भी नही [illegible]या है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.04.08 13:46:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रार्थी की खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु उक्त तीनो सिवायचक खसरा नम्बर में से रास्ता हेतु रिपोर्ट प्राप्त है। किन्तु खसरा नम्बर 1828 की किस्म नाला व 1833 की किस्म चाह होने के कारण प्रार्थीगण को उक्त खसरा नम्बर में से रास्ता नही दिया जा सकता है। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने निवेदन किया है कि नाला भूमि से पूर्व आराजी तक मार्ग दिया जावे। किन्तु उक्त नाला भूमि से पूर्व तक मार्ग दिये जाने के बावजूद स्वयं की खातेदारी आराजी से मुख्य मार्ग तक पूर्ण मार्ग उपलब्ध नही होगा।

प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया मार्ग गै0मु0 नाला व गै0मु0 चाह में से वांछित है। उक्त चाहा गया मार्ग प्रतिबंधित क्षेणी मे होने के कारण प्रार्थीगण को मार्ग दिया जाना न्यायोचित नही है तथा नाले के पूर्व स्थित सिवायचक खसरा नम्बर 1726 में से प्रार्थी को रास्ता दिये जाने पर प्रार्थी के हितों की पूर्ति नही हो सकती है।

उक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.04.08 13:46:29 IST
Reason: SelfAttested